रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 487] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 16, 1977/कार्तिक 25, 1899

No. 487] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 1977/KARTIKA 25, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 16th November 1977

S.O. 770(E) —Whereas the seat in the House of the People of Shri Keshubhai Savdasbhai Patel, chosen to that House from 4-Rajkot parliamentary constituency in the State of Gujarat, has become vacant;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect a person to fill the said vacancy before 24th December, 1977 (Saturday), in accordance with the provisions of the said Act and the Rules and Orders made thereunder

[No 100/GJ-HP/1/77(1)]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1977

का० आ० 770(अ).—लोक सभा में, गुजरात राज्य के 4-राजकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उस सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री केशुभाई सावदासभाई पटेल का स्थान रिक्त हो गया है;

अत, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबन्धो के अनुसरण मे निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से एतद्द्वारा यह अपेक्षा करता है कि वह ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 24 दिसम्बर, 1977 (शनिवार) से पूर्व, उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमो और आदेशो के उपबन्धो के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दे ।

[सं० 100 गुज०-लो०स०/1/77(1)]

S.O 771(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 4-Rajkot parliamentary constituency in the State of Gujarat in pursuance of its notification No. 100/GJ-HP/1/77(1) dated 16th November, 1977,—

(a) 23rd November, 1977 (Wednesday), as the last date for making nominations;

(b) 24th November, 1977 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations,

(c) 26th November, 1977 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) 18th December, 1977 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) 24th December, 1977 (Saturday), as the date before which the election shall be completed

[No 100/GJ-HP/1/77(2)]

का० आ० 771(अ)—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धो के अनुसरण मे, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/गुज० लो० सं०/1/77(1), तारीख 16 नवम्बर, 1977 के अनुसरण मे 4-राजकोट संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र मे होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में —

(क) नाम निर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख	23 नवम्बर, 1977 (बुधवार);
(ख) नाम निर्देशनो की संवीक्षा की तारीख	24 नवम्बर, 1977 (बृहस्पतिवार),
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख	26 नवम्बर, 1977 (शनिवार);
(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा	18 दिसम्बर, 1977 (रविवार) तथा
(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा	24 दिसम्बर, 1977 (शनिवार)

एतद्द्वारा नियत करता है ।

[सं० 100 गुज०-लो०स० 1/77(2)]

S O. 772(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 8 00 A.M. to 5.00 P.M as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 4-Rajkot parliamentary constituency to be held in pursuance of its notification No 100/GJ-HP/1/77(1), dated 16th November, 1977.

[No 100/GJ-HP/1/77(3)]

By Order,

I. K K MENON, Secy

का० आ० 772 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण मे, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100 गुज० लो०स० 1 77 (1), तारीख 16 नवम्बर, 1977 के अनुसरण मे 4-राजकोट संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले उप-निर्वाचन के लिए 8.00 बजे पूर्वाह्न से 5 00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप मे एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा ।

[स० 100/गुज०-लो० स० 1 77(3)]

आदेश से,

आई० के० के० मेनन, सचिव,

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977